(32)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 1174–दो/2012 विरूध्द आदेश दिनांक 26–03–12 पारित अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 405/2009–10 निगरानी.

1– रामलोचन पटेल तनय वल्देव पटेल
2– रामसहोदर पटेल तनय वल्देव पटेल
3– इन्दरनिया पुत्री वल्देव पटेल
4– जगरनिया पुत्री वल्देव पटेल
समस्त निवासी ग्राम ढावा गौतमान, तह. हनुमना,
जिला रीवा, म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूध्द

1– श्रीमती रामकली पत्नी श्या मजी पटेल
2– केमला उर्फ रामबहोर पटेल तनय चित्रसेन पटेल
दोनों निवासी ग्राम ढावा गौतमान, तह. हनुमना,
जिला रीवा, म0प्र0

–– अनावेदकगण

श्री वीरेन्द्रकुमार सिंह, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री विजय कुमार व्दिवेदी, अभिभाषक– अनावेदक क0–1
श्री जीतेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक– अनावेदक क0–2

आदेश

(आज दिनांक 21.4. 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर

आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 405/निगरानी/2019–10 में पारित आदेश दिनांक 26–03–2012 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक क0–1 रामकली पत्नी श्याम ने कलेक्टर, रीवा के आदेश दिनांक 25–03–10 से असन्तुष्ट होकर निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की। अपर आयुक्त के समक्ष प्रकरण लम्बित रहने के दौरान अनावेदक बल्देव पुत्र तिलकधारी की मृत्यु होने से रामकली व्दारा मृत बल्देव के वारिसान 3 पुत्र एवं 2 पुत्रियॉ दर्शाते हुए सी.पी. सी. के आदेश 22 नियम 4 के अन्तर्गत आवेदनपत्र अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया। अपर आयुक्त के समक्ष मृत बल्देव के पुत्र रामसहोदर ने यह आपत्ति प्रस्तुत की कि मृत बल्देव का वारिस केमला उर्फ रामबहोर नहीं है, बल्कि केवल 4 विधिक वारिस 2 पुत्र एवं 2 पुत्रियॉ हैं, जो इस प्रकरण में आवेदकगण हैं। अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 26–03–12 व्दारा मृत बल्देव के 5 वारिस अर्थात 3 पुत्र एवं 2 पुत्रियॉ मान्य करने करते हुए पक्षकार बनाने के आदेश दिये हैं जो इस प्रकरण में आवेदकगण तथा अनावेदक क0–2 हैं। इस आदेश के विरूध्द आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया। अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत खसरा पंचसाला वर्ष 2010–11 की प्रमाणित प्रतिलिपि में रामबहोर पिता चित्रसेन अंकित है। वर्ष 1978 की मतदाता सूची में रामबहोर चित्रसेन है। पंजीयत विकयपत्र में 27–7–88 केता क0 9 के रूप में रामबहोर तनय चित्रसेन उम्र 30 वर्ष अंकित है। इसके विपरीत मातदाता सूची वर्ष 1999, 2004, 2009 तथा ग्राम पंचायत व्दारा प्रमाणित राशन कार्ड परिचय पत्र, निर्वाचन आयोग व्दारा जारी परिचय पत्र एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की पहचान गणना वर्ष 2003 की सर्वे सूची

प्रस्तुत की गयी है जिसमें रामबहोर के पिता का राम बल्देवप्रसाद अंकित है। राजस्व मण्डल में आवेदकगण व्दारा व्दितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 मऊगंज जिला रीवा के वादपत्र क0 46ए/09 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है जिसमें प्रतिवादी क0–7 पर केवला उर्फ रामबहोर तनय चित्रसेन अंकित है। ऐसी दशा में यह मुद्दा विवादस्प्रद है कि केवला उर्फ रामबहोर मृत बल्देव का पुत्र है या चित्रसेन का पुत्र है। दोनों ही पक्ष व्दारा अपने–अपने कथन के समर्थन में दस्तावेज व शपथपत्र प्रस्तुत किये गये हैं। ऐसी दशा में इस बिन्दू पर विधिवत जॉच कर प्रतिवेदन तहसीलदार से स्वयं जॉच कर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवायी का अवसर देते हुए प्राप्त करने के पश्चात ही अपर आयुक्त को मृत बल्देव के विधिक उत्तराधिकारियों को अभिलेख पर देने के आदेश देना चाहिये थे, किन्तु इस ओर ध्यान नहीं देने में अपर आयुक्त ने त्रुटि की है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग का आदेश दिनांक 26–03–12 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अपर आयुक्त को वापिस किया जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0